कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल खड़गपुर–तारापुर

पत्रांक :– 2246 (अनु०) / तारापुर दिनांक:– 28/11/2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव,
बिहार ग्रमीण पथ विकास अभिकरण (ब्राडा), पटना।

विषय :– **State Scheme (NABARD)** अंतर्गत **Kharagpur-Jamui main road to Banhara Rai tola tak path nirman kary** पथ के अनुरक्षण कार्य के भुगतान हेतु अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **State Scheme (NABARD)** अंतर्गत **Kharagpur-Jamui main road to Banhara Rai tola tak path nirman kary** पथ के अनुरक्षण कार्य के भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में संलग्न विवरणी के अनुसार रू0– **1.13212** की आवश्यकता है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि पथों अनुरक्षण कार्य के भुगतान हेतु अधियाचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

28/11/24

कार्यपालक अभियन्ता,

28/11/24

राज्य योजना (नाबार्ड) अंतर्गत पथो में पंचवर्षीय अनुरक्षण प्रपत्र

क्र0 स0	कार्य प्रमडल का नाम	योजना का नाम	एकरारनामा के अनुसार प्राक्कलित राशि वर्षवार					कुल राशि (लाख मे)	व्यय की राशि वर्षवार					कुल राशि (लाख मे)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एव प्रत्राक दिनाक सहित (लाख मे)	पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि सहित अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि (लाख मे)	अनुरक्षण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति का पत्राक/दिनाक	मूल निर्माण कार्य करने की वास्तविक तिथि	वर्तमान अधियाचित राशि						कुल अधियाचित राशि (लाख मे)
			प्रथम वर्ष राशि (लाख मे)	द्वितीय वर्ष राशि (लाख मे)	तृतीय वर्ष राशि (लाख मे)	चतुर्थ वर्ष राशि (लाख मे)	पचम वर्ष राशि (लाख मे)		प्रथम वर्ष राशि (लाख मे)	द्वितीय वर्ष राशि (लाख मे)	तृतीय वर्ष राशि (लाख मे)	चतुर्थ वर्ष राशि (लाख मे)	पचम वर्ष राशि (लाख मे)						प्रथम वर्ष राशि (लाख मे)	द्वितीय वर्ष राशि (लाख मे)	तृतीय वर्ष राशि (लाख मे)	चतुर्थ वर्ष राशि (लाख मे)	पचम वर्ष राशि (लाख मे)	कुल राशि (लाख मे)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Kharagpur-Tarapur	Kharagpur-Jamui main road to Banhara Rai tola tak path nirman kary	0.43682	0.54482	0.90192	1.15331	1.36898	4.40585	0.00000	0.54439	0.88971	0.00000	0.00000	1.43410	89.73 Lacs Lt. No. 5834 dt. 18.12.2018	5.03000	Lt. No. 5834 dt. 18.12.2018	22.04.2020	0.00000	0.00000	0.00000	1.13212	0.00000	1.13212	1.13212

1. कार्य विशिष्टियो के अनुरूप कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
2. पथ मे MQMU/PQM/IE से सबंधित कोई सुधार प्रतिवेदन लबित नही है।
3. अनुमोदित परिमाण विपत्र की कुल राशि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 20% सीमा के भीतर है साथ ही अनुमोदित परिमाण के मदो की मात्रा का विस्तार का
4. अनुलग्नक – प्रशासनिक स्वीकृति का पत्र, अनुमोदित परिमाण विपत्र एवं एकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति।

28/11/24
D.A.O

28/11/24
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल खड़गपुर–तारापुर

EXECUTIVE ENGINEER, RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION,
Munger
FROM GFR 19 - A

(See Government of India's Decision (I) below Rule - 150)
Form of Utilisation Certificate upto the month of OCT- 2024

Name of the Head :- NABARD Maint. Fund **Month:- NOV 2024**

Sl. No.	Name of Bridge	Sanctioned No./ Date	Amount Received (in Lacs Rs.)	Particulars
1	2	4	5	6
1	**Kharagpur-Jamui main road to Banhara Rai tola tak path nirman kary**	**Lt. No. 5834 dt. 18.12.2018**	**1.43410**	Certified that out of Rs. 1.4341 Lacs received during the Maintenance of this road favour of Executive Engineer R.W.D. Works Division, Kharagpur-Tarapur, Bihar a sum of Rs 1.4341 Lacs has been utilized for the purpose of NABARD Maint. Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs 0.00000 Lacs remaining un-utilized at the end of the period under.
	Total -		**1.43410**	

2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for witch it was Sanctioned.

Kind of Checks Exercised :-

i. Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
ii.Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer.
iii. Construction materials have been tested.
iv. Measurements have been recorded in the MBs and test checks conducted by the Assistant Engineer/ Executive Engineer.
v. All other codal formatities have been observed.

3 **Physical Progress achieved :-**

i. Construction of Road Works.
ii. Construction of CD. Works.

28/11/24
Divisional Account Officer
RWD Works Division Kharagpur - Tarapur

28/11/24
Executive Engineer
RWD Works Division, Kharagpur-Tarapur

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक ग्रा0 अ0–4 (मु0)–नाबार्ड–03–121/2018 5834 /पटना, दिनांक–18/12/18

प्रेषक,

संजय कुमार, भा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय: योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के मुंगेर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल खड़गपुर–तारापुर के क्षेत्राधीन खड़गपुर प्रखंड के खड़गपुर–जमुई मेन रोड से बनहारा राय टोला तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 1.20 कि0 मी0 निर्माण हेतु रू0 84.70 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रू0 5.03 लाख अर्थात कुल 89.73 लाख रूपये (नवासी लाख तिहत्तर हजार रू0) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–उप शीर्ष–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के मुंगेर जिलान्तर्गत [illegible] खड़गपुर–तारापुर के क्षेत्राधीन खड़गपुर प्रखंड के खड़गपुर–जमुई मेन रोड से बनहारा [illegible] तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 1.20 कि0 मी0 निर्माण हेतु रू0 84.70 लाख एवं [illegible] की राशि रू0 5.03 लाख अर्थात कुल 89.73 लाख रूपये (नवासी लाख तिहत्तर हजार रू0) [illegible] लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस [illegible] सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड 37–451500[illegible] के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम [illegible] कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की [illegible] नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 459.31 करोड़ [illegible] उपबंध स्वीकृत है।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण [illegible] कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर द्वारा योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन [illegible] तारीख तक निश्चित रूप से क्रमशः अधीक्षण अभियंता कार्य अंचल, मुंगेर एवं मुख्य अ[illegible] के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण [illegible] प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना [illegible] नहीं है।
8. इस योजना का चयन [illegible] कार्य विभाग, द्वारा संचिका सख्या ग्रा0अ0–4 (मु0)–नाबार्ड–03–121/2018 [illegible] पर दिनांक 16.04.2018 को किया गया है।

EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D WORKS DIVISION
Kharagpur(Tarapur (Munger)

9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0) नाबार्ड–03–121/2018 के पृ0 सं0–08/टि0 पर दिनांक–24.10.2018 को प्राप्त है।

10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–4–45/94–301 वि (2) दिनांक 31.01.1995 एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)–11–2005–5090 वि (2) दिनांक 15.09.05 एवं 295 दिनांक 24.03.15 के आलोक में तथा वित विभाग के संकल्प सं0 96 दिनांक 03.01.2008 एवं 3758 दिनांक–30.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0) नाबार्ड–03–121/2018 के पृष्ठ संख्या–15/टि0 पर दिनांक–14.12.18 को प्राप्त है।

12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य में नहीं।

13. योजना के लिए कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल खड़गपुर–तारापुर से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायेगी एवं प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

14. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखवद्ध किया जाय।

15. वित्त विभाग के पत्रांक–770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वासभाजन
(संजय कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक मु0 अ0–4 (मु0)–नाबार्ड–03–121/2018 5834 /पटना, दिनांक–18/12/18

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांक मु0 अ0–4 (मु0)–नाबार्ड–03–121/2018 5834 /पटना, दिनांक–18/12/18

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर, BRRDA,/मुख्य अभियंता–2, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु0 अ0–4 (मुख्यालय), ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर /मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पाँचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

30.7.19

EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION